

संचिका संख्या- 8 आपदा (12) 01/2018...../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ० एन० विजयलक्ष्मी, भा०प्र०से०

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

(नवादा/ जहानाबाद/ औरंगाबाद एवं सुपौल को छोड़कर)

बिहार ।

पटना-15, दिनांक-...../...../2018

विषय :- संभावित बाढ़/सुखाड़-2018 हेतु सुखा चारा का दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण करने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-651 (नि०) दिनांक- 05.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि संभावित बाढ़/ सुखाड़-2018 हेतु सुखा चारा का दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण 15 अप्रैल 2018 तक पूरी कर तत्संबंधी सूचना की मांग की गयी थी । सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों से समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि आपके जिला में अब तक सुखा चारा का दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण नहीं किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए संभावित बाढ़/ सुखाड़-2018 हेतु सुखा चारा का दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण शीघ्र पूरी कर तत्संबंधी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 8 आपदा (12) 01/2018...../

पटना-15, दिनांक-...../...../2018

प्रतिलिपि:- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, (नवादा/ जहानाबाद/ औरंगाबाद एवं सुपौल को छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सूखा चारा का दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण शीघ्र कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

ह०/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 8 आपदा (12) 01/2018...../

पटना-15, दिनांक-...../...../2018

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 8 आपदा (12) 01/2018...../1488(16)

पटना-15, दिनांक-21/05/2018

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।